न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवान – अशोक कुमार बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा – प्रा0–पत्र 136 एल.आर.एक्ट 1956 मु0 नं विविध 49 / वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र	
08.04.2025	पत्रावली पेश हुई। **प्रार्थी** की ओर से वकील श्री **दिनेश कुमार सैनी** द्वारा न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर आवेदन पत्र पेश किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजि.एडी जारी किया जावें। तहसीलदार सीकर को तहरीर जारी होकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.04.2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी सीकर	
21/4/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/5/25 को पेश हो।	
25/[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 13/5/25 को पेश हो। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त।	
13/5/25	पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी हाजिर। बहस अधि. प्रार्थी सुनी गई। आवेदन मेत्तसा व रिपोर्ट तहसीलदार से सन्तुष्ट होने पर आवेदन को स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से किया जाकर (शामिल पत्रावली किया)। पत्रावली कौसिल कुमार होकर नतीजा से कमे हो, दाखिल दफ्तर हो। रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)	

21/4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– निखिल कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र मुकदमा नम्बर :– 49/2025
तारीख दायर :– 09.04.2025

उनवान

1. अशोक कुमार पुत्र प्रभाती लाल आयु 32 वर्ष जाति नायक निवासी न्यू इंदिरा कॉलोनी वार्ड न 42 पुराना, सीकर तहसील व जिला सीकर

—प्रार्थी—

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील कार्यालय सीकर

—अप्रार्थी—

उपस्थित :–

अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री दिनेश कुमार सैनी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक :–13.05.2025

1. प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता एक आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम पेश किया गया जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि आवेदन की खरीदशुदा भूमि नया खाता संख्या 651 पुराना खाता संख्या 461 खसरा नम्बर 6057/1591 रकबा 1.88 हैक्ट, खसरा नम्बर 6058/1591 रकबा 0.03 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 1.91 हैक्ट वाके ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 464/1395 भाग है तथा शेष भाग जमाबंदी में अंकित राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार है। उक्त कृषि भूमि जो कि आवेदन ने पूर्व खातेदार काश्तकार से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है।
2. आवेदक द्वारा उक्त कृषि भूमि को उसके पूर्व खातेदार काश्तकार गुलाबी, फूली, बरजी व संतोष पुत्रिया भानाराम जाति बलाई निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2024 को क्रय कर विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

पत्र को पंजीबद्ध करवा लिया था परंतु विक्रय पत्र को पंजीबद्ध करवाते समय सहवन से प्रार्थी की जाति बलाई अंकित हो गई जबकि प्रार्थी की वास्तविक जाति नायक है। आवेदक के उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी पटवार हल्का पिपराली द्वारा आवेदक के राजस्व रिकॉर्ड में जाति बलाई अंकित कर दी गई है जबकि विक्रय पत्र में आवेदक की जाति नायक अंकित है तथा वास्तविक जाति भी नायक ही है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की जाति नायक के स्थान पर बलाई होने से प्रार्थी सरकार की ओर से प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है तथा प्रार्थी को ऋण आदि लेने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है।

5. अतः श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि नया खाता संख्या 651 पुराना खाता संख्या 461 के खसरा नम्बर 6057/1591 रकबा 1.88 हैक्ट, खसरा नम्बर 6058/1591 रकबा 0.03 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 1.91 हैक्ट वाके ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की जाति बलाई के स्थान पर नायक शुद्ध किये जाने के आदेश जारी करने का श्रम करावें।

6. प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार हेतु तहरीर जारी की गई। प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार सीकर से रिपोर्ट क्रमांकः–भू.अ./2025/1522 दिनांक 21.04.2025 प्राप्त। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व ग्राम पिपराली के खाता संख्या 651 के खसरा नम्बर 6057/1591 रकबा 1.88 हैक्ट, खसरा नम्बर 6058/1591 रकबा 0.03 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 1.91 हैक्ट की जमाबंदी के अनुसार खाता में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2024 से ऑटो म्यूटेशन संख्या 5627 दिनांक 10.06.2024 बेचान दर्ज हुआ है। उक्त नामा संख्या 5627 से गुलाबी, फूली, बरजी, संतोष पुत्री भानाराम द्वारा अपना हिस्सा अशोक कुमार पुत्र प्रभाती लाल जाति बलाई को बेचा गया है। ऑटो म्यूटेशन दर्ज करते समय प्रार्थी अशोक कुमार की जाति नायक के स्थान पर बलाई दर्ज हो गई है। तहसीलदार सीकर द्वारा उक्त रिपोर्ट विवादित भूमि के खातेदार अशोक कुमार पुत्र प्रभाती लाल जाति बलाई के स्थान पर प्रार्थी की जाति नायक राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने बाबत् भिजवाई गई है।

7. प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों तथा रिपोर्ट तहसीलदार तथा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2024 से स्पष्ट है कि प्रार्थी की वास्तविक जाति नायक ही है, ऑटो म्यूटेशन में प्रार्थी की जाति नायक के स्थान पर बलाई अंकित हो गई है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर के खाता संख्या 651 के खसरा नम्बर 6057/1591 रकबा 1.88 हैक्ट, खसरा नम्बर 6058/1591 रकबा 0.03 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 1.

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

91 हैक्ट में खातेदार का नाम निम्न सारणी के अनुसार शुद्ध किये जाने की स्वीकृति भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है–

क्र. स.	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि
1.	अशोक कुमार पुत्र प्रभाती लाल, जाति बलाई, निवासी न्यू इंदिरा कॉलोनी, वार्ड नम्बर 42 पुराना, सीकर तहसील व जिला सीकर	अशोक कुमार पुत्र प्रभाती लाल, जाति नायक, निवासी न्यू इंदिरा कॉलोनी, वार्ड नम्बर 42 पुराना, सीकर तहसील व जिला सीकर

तहसीलदार सीकर को निर्देश दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड में ...नुसार दर्ज करें, रिपोर्ट तहसीलदार निर्णय का भाग रहेगा। आदेश आज दिनांक ...05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली ... शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निखिल कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)